JALAUN POLICE

दिनांक- 30.01.2026

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना सिरसाकलार पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर चोरों को चोरी के सामान (ट्रैक्टर ट्राली, मोटरसाईकिल, ईको कार, नकदी) 02 तमंचा व 04 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस आदि के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

कृपया अवगत कराना है दिनांक 29/30.01.2026 को थाना सिरसाकलार पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी एवं चैकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि जगदीश सिंह भदौरिया व बलखण्डी बाबा के मन्दिर के पास बाग में एक लाल रंग का ट्रैक्टर, ट्राली व मोटरसाईकिल व इको कार खडी है वहाँ पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति उक्त सामान को क्रय विक्रय करने की बात कर रहे हैं।

इस सूचना पर थाना सिरसाकलार पुलिस बल द्वारा मुखविर के बताये गये स्थान पर एक बारगी दबिश देकर घेर लिया गया तो संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल को देखकर अचानक 02 फायर किये गये। जिस पर पुलिस बल द्वारा बचते-बचाते उनको आत्मसमर्पण हेतु कहा गया तो उक्त संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपनी गलती मानते हुये पुलिस बल के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। जिसमें एक अभियुक्त ने अपना नाम बड़े सिंह पुत्र रामप्रकाश दोहरे नि० बेनीपुरा थाना मधौगढ़ जिला जालौन उम्र 36 वर्ष व दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम सुमित कुमार पुत्र लालू नि0ग्राम अकबरपुरा थाना माधौगढ जिला जालौन उम्र करीब 24 वर्ष बताया, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा व चोरी के रुपये व कागजात आदि बारमद हुये हैं। जिसके संबन्ध में थाना सिरसाकलार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया है कि साहव हम लोगों नें दिनांक 28/29-01-26 की रात्रि में ऊमरी रोड़ कस्बा माधौगढ़ से ट्रैक्टर ट्राली चोरी किया था और दिनांक 25.01.26 को चुंगी नं0 04 के सामने कस्बा जालौन से अपाचे मोटरसाइकिल चुराई थी जिसे छुपाकर बेचने के उद्देश्य से यहाँ लाकर खडा कर दिया था। अभियुक्त बडे सिंह द्वारा बताया गया है कि साहब उक्त इको कार मेरी है जिसे हम लोग चोरी करने में इस्तेमाल करते हैं तथा कार में रखे रुपयों व कागजात के बारे में बताया गया कि दिनांक 20.11.2025 को हम लोगो ने ग्राम तरसौर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था तथा वहाँ से मिले जेवरात को अज्ञात व्यक्तियों को बेंच दिया गया था एवं उनसे मिले रुपयों को मुकदमों की पैरवी व अन्य जरूरतों में खर्च कर दिया था। जिसमें से कुछ रुपये बचे हैं तथा अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहव हम लोगो ने ट्रैक्टर ट्राली व मोटरसाईकिल को 1,70,000/- रुपये में अज्ञात व्यक्ति को बेचने का सौदा किया था।

अभियुक्त का विवरण-

1. बड़े सिंह पुत्र रामप्रकाश दोहरे नि० बेनीपुरा थाना मधौगढ़ जिला जालौन उम्र 36 वर्ष।

2. सुमित कुमार पुत्र लालू नि0ग्राम अकबरपुरा थाना माधौगढ जिला जालौन उम्र करीब 24 वर्ष।

अभियुक्त बड़े सिंह का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0- 05/2026 धारा 109 (पुलिस मुठभेड) / 317(4) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसाकलार
2. मु0अ0स0- 17/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना जालौन।
3. मु0अ0स0- 11/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना माधौगढ।
4. मु0अ0स0- 12/2010 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना माधौगढ।
5. मु0अ0स0- 886/2010 धारा 110 सीआरपीसी थाना माधौगढ।

अभियुक्त सुमित कुमार का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0- 05/2026 धारा 109 (पुलिस मुठभेड) / 317(4) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसाकलार
2. मु0अ0स0- 17/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना जालौन।
3. मु0अ0स0- 11/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना माधौगढ।
4. मु0अ0स0- 133/2022 धारा 379/34 भादवि थाना कोच।
5. मु0अ0स0- 330/2022 धारा 379/420 भादवि थाना को0 उरई।
6. मु0अ0स0- 180/2021 धारा 379/411 भादवि थाना माधौगढ।
7. मु0अ0स0- 63/2022 धारा 379/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नदीगाँव।
8. मु0अ0स0- 90/2024 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना माधौगढ।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद ट्रैक्टर महिन्द्रा 265 डीआई बिना नम्बर चेचिस नं0 MBNAAACGAMRC01076 इंजन नं0 RMC2DBN2944 मय ट्राली थाना माधौगढ मु0अ0स0- 11/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित।

2. एक अदद मो0साइकिल अपाचे बिना नम्बर चेचिस नं0 MD634C34CE4XK2L08999 इजन नं0 CE4LK2108829 थाना जालौन मे पंजीकृत मु0अ0स0- 17/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित।

3. एक अदद ईको कार नं0 UP92AM4325 घटना मे प्रयुक्त वाहन सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट।

4. कुल 25950 रुपये व दो आधार कार्ड व दो पासबुक थाना सिरसाकलार मे पंजीकृत मु0अ0स0- 136/25 धारा 305 (क) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी किये गये जेवरात को बेचने के उपरांत प्राप्त किया गया धन।

5. दोनो अभियुक्तों से अलग-अलग बरामदशुदा 02 अदद तमंचा 315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष सिरसाकलार मय पुलिस टीम।